उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(जिला योजना)

आदेश

अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 28 (स्वी०), दिनांक 10.05.2018 के द्वारा लातेहार जिला को जिला अनाबद्ध निधि अन्तर्गत मो० 309.16000 लाख रू० की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

2. दिनांक 11.05.2018 को सम्पन्न जिला योजना समिति की बैठक में **सिंचाई प्रक्षेत्र** की निम्नलिखित योजना का अनुमोदनोपरांत **कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार** के पत्रांक 208, दिनांक 15.05.2018 के द्वारा प्राप्त प्राक्कलन पर कॉलम– 04 में दी गई तकनीकी स्वीकृति अर्थात कुल तकनीकी स्वीकृति मो० 5.35884 लाख रू० के आलोक में योजना कार्यान्वयन हेतु कॉलम–5 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल मो० 5.35884 लाख रू० (पांच लाख पैतीस हजार आठ सौ चौरासी रू०) की स्वीकृति दी जाती है।

क्र० सं०	प्रखंड	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	लातेहार	प्रखंड लातेहार में झरिया डैम का जीर्णोद्धार।	535884.00	535884.00

3. उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिये कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार को कार्यकारी एजेंसी मनोनित किया जाता है, जो नियमानुसार योजना का कार्यान्वयन प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

4. वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना व्यय (विस्तृत) मांग संख्या 35 योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) मुख्यशीर्ष 2053 जिला प्रशासन, लघुशीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 11 जिला योजना के लिये अनाबद्ध राशि State Scheme- State plan Untied Fund (0385) विस्तृत शीर्ष 07 अन्य व्यय 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 35P205300796110759 में प्राप्त स्वीकृत्यादेश मो० **309.16** लाख रू० से योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति दी जाती है।

5. उपर्युक्त स्वीकृत योजना का निर्माण विनिर्दिष्ट स्थान पर ही कराया जायेगा। कार्यकारी ऐजेंसी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार संबंधित अंचलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर योजना स्थल से संबंधित भूमि प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। साथ ही भूमि विवाद का समाधान योजना के कार्यान्वयन के पूर्व ही प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। योजना प्रारंम्भ होने के पश्चात् किसी भी प्रकार के जमीन संबंधी विवाद होने की स्थिति में कार्यकारी ऐजेंसी को ही पूर्णतः जवाबदेह माना जायेगा।

6. कार्यकारी एजेंसी योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मापीपुस्त की सत्यापित प्रति, फोटोग्राफ, पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, हस्तान्तरण प्रमाण पत्र तथा स्वंय स्थलीय जांच प्रतिवेदन निश्चित रूप से कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

7. योजना कार्यरंम्भ के पूर्व Zero level photograph एवं पूर्ण होने के पश्चात् योजना की फोटोग्राफ कराकर कार्यकारी एजेंसी द्वारा इसे अभिलेख में संधारित किया जायेगा।

8. योजना में व्यवहृत सामग्रीयों के विरूद्ध देय रॉयल्टी एवं अन्य टैक्स की कटौती विपत्र से किया जायेगा। तथा कटौती की गयी राशि को जिला कोषागार, लातेहार में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार योजना के गुणवत्ता के लिए पूर्ण जवाबदेह होंगे तथा कार्यकारी एजेंसी यह प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप है।

10. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में यदि किसी प्रकार की राशि का विचलन अथवा बिना कार्य के राशि का अभिश्रव निकासी अथवा प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कार्य न होने पर कार्यकारी एजेंसी के विरूद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जायेगी।

11. कार्यकारी एजेंसी प्रत्येक माह के 2री तिथि तक योजना का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

22/05/18

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :- य-दो-42/2018-19 231 /जि०यो०, दिनांक :- 23.5.18

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग),/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/05/18

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :- य-दो-42/2018-19 231 /जि०यो०, दिनांक :- 23.5.18

प्रतिलिपि :- 1. कार्यकारी एजेंसी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखंड, लातेहारा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार /अंचलाधिकारी, लातेहार/जिला कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

22/05/18

उपायुक्त, लातेहार।